

R
10/07/2025

नीलामी की सूचना एवं शर्तें
कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र।

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं०-5269 Admin (B-I) Section Dated: 04.07.2025 के अनुपालन हेतु सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक-08.07.2025 के अनुक्रम में जनपद न्यायालय सोनभद्र के अन्तर्गत प्रांगण **मुंसफीखण्ड में स्थित फोटो स्टेट की दुकान का स्थान** जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है, की नीलामी वर्ष 2025-26 की अवशेष अवधि 01 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 (8 माह) तक के लिये दिनांक-27.07.2025 तक सील बंद निविदा आमंत्रित की जायेगी। सील बंद निविदा नजारत अनुभाग में प्राप्त कराये जाने के पूर्व नीलामी सम्बन्धी अन्य जानकारी के लिए नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र में सम्पर्क किया जा सकता है।

इच्छुक व्यक्तियों द्वारा सील बंद निविदा नजारत अनुभाग में निर्धारित तिथि तक जमा करने के उपरान्त दिनांक 28.07.2025 को नीलामी प्रक्रिया के दौरान उच्चतम बोलीकर्ता की नीलामी स्वीकार किये जाने की संस्तुति की जाएगी। सील बंद निविदा जमा किये जाने के दौरान पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ निर्धारित सुरक्षा धनराशि को नजारत अनुभाग में जमा की जाएगी। उच्चतम बोली स्वीकार होने की दशा में सुरक्षा धनराशि के अतिरिक्त उल्लिखित की गयी धनराशि का 1/2 भाग 01 अगस्त 2025 के पूर्व नजारत अनुभाग में जमा किया जाना है। और सुरक्षा धनराशि को द्वितीय किस्त में समायोजित करते हुए जमा करना होगा। नीलामी स्वीकार हो जाने की दशा में 100.00 रुपया के स्टाम्प पर एग्रीमेन्ट निष्पादित करना होगा। जिसमें निम्नलिखित शर्तें होगी।

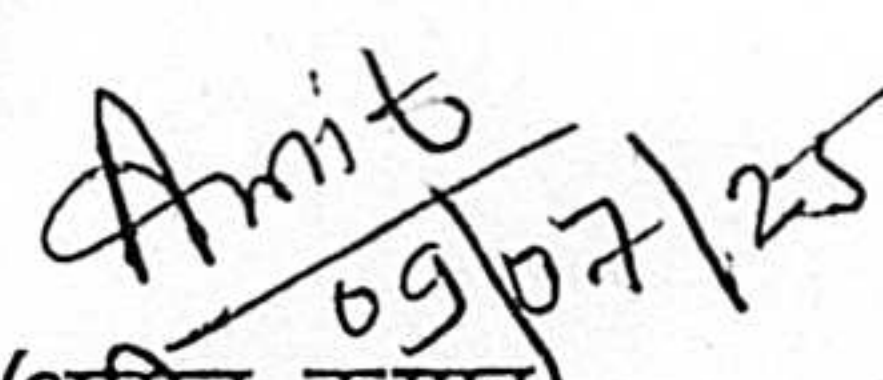
1. यह कि द्वितीय पक्ष नीलामी एवं अपने सामानों की सुरक्षा का स्वयं जिम्मेदार होगी।
2. यह कि द्वितीय पक्ष के ठेके की धनराशि दिनांक 01.08.2025 से प्रारम्भ होगी और दिनांक 31.03.2026 तक मान्य रहेगी।
3. यह कि द्वितीय पक्ष के जिस काम का ठेका होगा वह स्वयं करेगा किसी अन्य को दुकान ठेके पर नहीं देगा।
4. यह कि आवश्यकता अनुसार बोलीकर्ता विद्युत कनेक्शन प्राप्त करके विद्युत का उपभोग एवं पानी की व्यवस्था स्वयं करेगा।
5. यह कि उपरोक्त शर्तों को यदि द्वितीय पक्ष पालन नहीं करता है तो उसके द्वारा जमानत धनराशि प्रथम पक्ष द्वारा जब्त कर ली जाएगी। तथा ठेका निरस्त होने पर हर्जाना यथास्थिति अवशेष धनराशि की सीमा तक द्वितीय पक्ष से वसूल कर लिया जायेगा।
6. यह कि उपरोक्त ठेके से उत्पन्न सम्पूर्ण विवाद के सन्दर्भ में एक मात्र क्षेत्राधिकार जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र को ही होगा।
7. यह कि ठेके की शर्तों का पालन न करने पर एवं हुई हानि की वसूली पब्लिक मनी रिकवरी एक्ट के प्राविधान के अन्तर्गत प्रथम पक्ष के द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी करके लैण्ड रेवेन्यू की तरह धन वसूल करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
8. यह कि उपरोक्त रूप से प्राप्त ठेके के बावत शर्तों के उल्लंघन की दशा में युक्ति-युक्त सुनवाई के अवसर के अधीन ठेका निरस्तीकरण का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र को होगा।

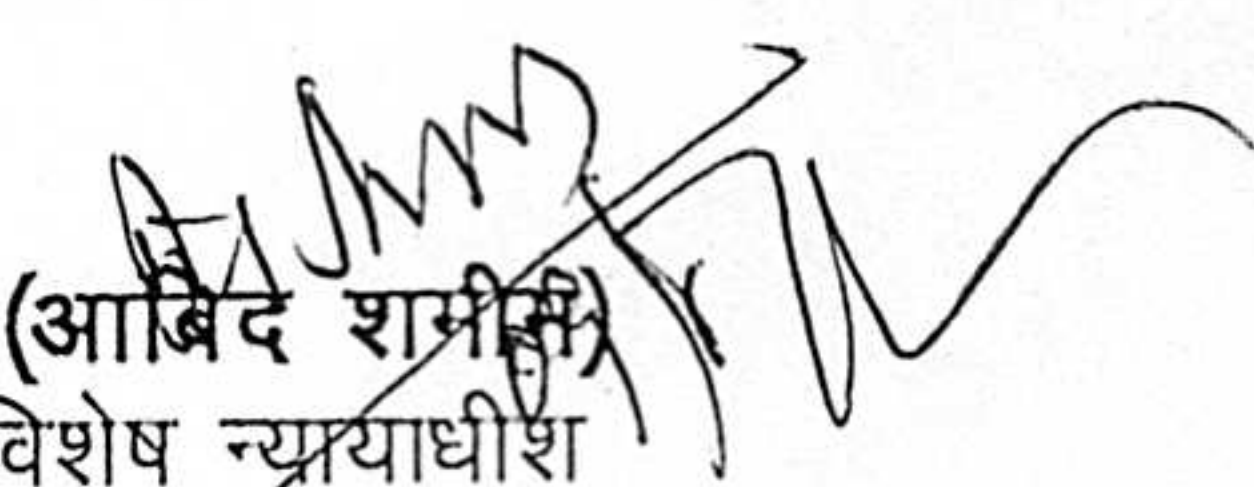
दुकान का विवरण जिनकी नीलामी की जानी है:-

क०.सं०	दुकानों का नाम	अवधि	सुरक्षा धनराशि	निविदा की न्यूनतम आरक्षित धनराशि
1.	फोटो स्टेट की दुकान का स्थान, मुंसफीखण्ड	01 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026	5000.00	89334.00

नोट:-

1. जिन ठेकेदारों के नाम काली सूची में हैं वो सील बंद निविदा के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
2. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य के लिए निविदा नहीं प्रस्तुत करेगा।
3. नीलामी में उच्चतम धनराशि की निविदा को ही मंजूर होने पर कोई ठेकेदार दुकान चलाने का अधिकारी होगा।
4. बिना कोई कारण बताए उच्चतम बोलने वाले बोली स्वीकार करने का या अस्वीकार करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश सोनभद्र को होगा।
5. दिवालिया घोषित व्यक्ति कोई सील बंद निविदा प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा।
6. विधि अनुसार अनुबन्ध करने में सक्षम व्यक्ति ही सील बंद निविदा प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा।


(अमित कुमार)
सिविल जज सीनियर डिवीजन
सदस्य
दुकानों की नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र


(आविर्द शर्मा)
विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.)
सदस्य
दुकानों की नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र


(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश पोक्सो
अध्यक्ष
दुकानों की नीलामी समिति
जनपद न्यायालय सोनभद्र

प्रतिलिपि:-

1. केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय सोनभद्र।
2. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय सोनभद्र
3. नोटिस बोर्ड मुंसफी खण्ड, जनपद न्यायालय सोनभद्र
4. नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी व तहसीलदार राबर्ट्सगंज सोनभद्र।
5. नोटिस बोर्ड रोडवेज बस स्टैण्ड, राबर्ट्सगंज सोनभद्र
6. स्थानीय समाचार पत्र
7. केन्द्रीय कम्प्यूटर अनुभाग को
8. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय लखनऊ(30प्र०)
9. सूचना अधिकारी सोनभद्र को समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।